विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

पत्रांकः–144 /उ0शि0नि0मं0कर्ण0/2025–26, दिनांकः–05/03/2026

वाद योजित तिथि –20.05.2025
अंतिम सुनवाई तिथि–19.02.2026
निर्णय उद्घघोषित तिथि–19.02.2026

शिकायत संख्याः– 15/2025–26

श्री शैलेन्द्र कुमार, होटल माउण्ट व्यू मायापुर, ...परिवादी।

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गोपेश्वर..विपक्षी।

कोरम–

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।
श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।
श्री रघुराज सिंह–तकनीकि सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थितिः–

परिवादी की ओर से.. अनुपस्थित।

विपक्षी की ओर से.. श्री आशीष चौधरी उपखण्ड अधिकारी चमोली।

उद्घघोषित द्वारा :– श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।

श्री रघुराज सिंह–तकनीकि सदस्य।

निर्णय

1. परिवादी श्री शैलेन्द्र कुमार, होटल माउण्ट व्यू मायापुर,, वि0वि0खण्ड गोपेश्वर द्वारा दिनांक 20.05.2025 को विद्युत बिल के सन्दर्भ में परिवाद प्रस्तुत किया गया। परिवादी ने विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि विभाग द्वारा परिवादी को विद्युत बिल नहीं दिया जा रहा है, एवं विद्युत कनेक्शन भी काट दिया गया है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।

सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,
Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

पत्रांकः– 144 /उ0शि0नि0मं0कर्ण0/2025–26, दिनांकः–05/03/2026

2. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 20.06.2025 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी की ओर से श्री योगेश्वर पुरोहित विभागीय प्रतिनिधि वि0वि0खण्ड गोपेश्वर उपस्थित हुए, विभाग द्वारा मंच के सम्मुख परिवादी की कन्ज्यूमर हिस्ट्री प्रेषित की गई।
3. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 05.08.2025 के दौरान परिवादी उपस्थित हुए, विपक्षी की ओर से अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0खण्ड गोपेश्वर उपस्थित हुए, मंच द्वारा विभाग को आदेशित किया गया कि विभाग उपभोक्ता के बिल संशोधित कर रिपोर्ट अगली सुनवाई को मंच में प्रेषित करें।
4. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 30.09.2025 एवं 09.12.2025 के दौरान परिवादी अनुपस्थित, विपक्षी की ओर से श्री आशीष चौधरी उपखण्ड अधिकारी चमोली उपस्थित हुए, परिवादी द्वारा अनुपस्थित रहने पर वाद की सुनवाई 15.01.2026 को नियत की जाती है।
5. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 15.01.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी की ओर से श्री आशीष चौधरी उपखण्ड अधिकारी चमोली एवं श्री योगेश्वर पुरोहित उपस्थित हुए, विपक्षी विभाग की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। परिवादी विगत तिथियों पर सूचना के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुए, मंच द्वारा परिवादी को सुनवाई हेतु अन्तिम अवसर दिया गया। परिवादी दिनांक 19.02.2026 को स्वंय मंच के सम्मुख प्रस्तुत होकर अपना पक्ष रखें।
6. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 19.02.2026 के दौरान परिवादी अनुपस्थित हुए, विपक्षी की ओर से श्री आशीष चौधरी उपखण्ड अधिकारी चमोली उपस्थित हुए, विभाग द्वारा मंच को अवगत किया गया कि उक्त मामले का पहले भी निस्तारण करते हुए, परिवादी के विद्युत बिल संशोधित कर दिये गये थे किन्तु परिवादी द्वारा विद्युत बिल भुगतान नहीं किया गया है। मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी विगत तिथियों पर सूचना के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुए, जिससे परिवादी का प्रार्थना पत्र परिवादी की अनुपस्थिति में अदम पैरवी में खारिज करने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद में परिवादी की अनुपस्थिति में मामले को अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अर्जुन सिंह बिष्ट (उपभोक्ता सदस्य) सदस्य–उपभोक्ता उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	रघुवीर सिंह बिष्ट (विधि सदस्य) सदस्य–विधि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	रघुराज सिंह (तकनीकि सदस्य) सदस्य–तकनीकि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

पत्रांकः– 145 /उ0शि0नि0मं0कर्ण0 / 2025–26, दिनांकः–05 /03 /2026

वाद योजित तिथि –12.06.2025
अंतिम सुनवाई तिथि–19.02.2026
निर्णय उद्घघोषित तिथि–19.02.2026

शिकायत संख्याः– 16 / 2025–26

श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी स्व0 गजपाल सिंह बिष्ट, ग्राम–खल्ला पो0–मण्डल ....परिवादी।

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गोपेश्वर..विपक्षी।

कोरम–

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।
श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।
श्री रघुराज सिंह–तकनीकि सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थितिः–

परिवादी की ओर से... अनुपस्थित।

विपक्षी की ओर से... श्री आशीष चौधरी उपखण्ड अधिकारी चमोली।

उद्घघोषित द्वारा :– श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।

श्री रघुराज सिंह–तकनीकि सदस्य।

निर्णय

1. परिवादी श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी स्व0 गजपाल सिंह बिष्ट, ग्राम–खल्ला पो0–मण्डल, वि0वि0खण्ड गोपेश्वर द्वारा दिनांक 12.06.2025 को विद्युत मीटर के सन्दर्भ में परिवाद प्रस्तुत किया गया। परिवादी ने विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि विभाग द्वारा परिवादी का विद्युत मीटर कनेक्शन विभाग में पंजीकृत न होने के कारण भी विद्युत बिल दिया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।

सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

पत्रांकः– 145 / उ0शि0नि0मं0कर्ण0 / 2025–26, दिनांकः– 05/03/2026

2. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 20.06.2025 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी की ओर से श्री योगेश्वर पुरोहित विभागीय प्रतिनिधि वि0वि0खण्ड गोपेश्वर उपस्थित हुए, मंच द्वारा विपक्षी विभाग को आदेशित किया गया कि विभाग परिवादी की मीटर सीलिंग रिपोर्ट के अनुसार परिवादी के विद्युत बिल प्रेषित करें।
3. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 05.08.2025 के दौरान परिवादी अनुपस्थित, विपक्षी की ओर से अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0खण्ड गोपेश्वर उपस्थित हुए, विभाग द्वारा उक्त उपभोक्ता के शिकायत का समाधान करने के लिए एक अगली तिथि की मांग की।
4. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 30.09.2025 के दौरान परिवादी अनुपस्थित, विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी चमोली उपस्थित हुए, विभाग द्वारा मंच को अवगत किया गया कि उपभोक्ता के मीटर अभिलेखों में प्रविष्ट कर दिया गया है, विद्युत बिल को संशोधित कर प्रेषित कर दिया जायेगा।
5. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 09.12.2025 के दौरान परिवादी अनुपस्थित हुए, विपक्षी की ओर से श्री आशीष चौधरी उपखण्ड अधिकारी चमोली उपस्थित हुए, विपक्षी विभाग द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत करने हेतु मौखिक रूप से तिथि चाहने की याचना की गई। परिवादी को पुनः नोटिस पैरवी हेतु एवं प्रतिवादी को जवाबदावा दिनांक 15.01.2026 को प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया गया।
6. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 15.01.2026 के दौरान परिवादी अनुपस्थित, विपक्षी की ओर से श्री आशीष चौधरी उपखण्ड अधिकारी चमोली उपस्थित हुए, मंच द्वारा निर्णय लिया गया है कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु अन्तिम अवसर दिया जाए। परिवादी दिनांक 19.02.2026 को स्वंय मंच के सम्मुख प्रस्तुत होकर अपना पक्ष रखें।
7. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 19.02.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी की ओर से वि0वि0खण्ड गोपेश्वर उपस्थित हुए, परिवादी के प्रार्थना पत्र का विभाग द्वारा अनुपालन किया गया। परिवादी को आदेशित किया जाता है कि वह नाम परिवर्तन करने के लिए विभाग में आवेदन करें।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद का आंशिक समाधान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कर दिया गया है। मंच द्वारा परिवादी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी अपने विद्युत संयोजन में नाम परिवर्तन हेतु विभाग में आवेदन करें, तथा मंच विपक्षी विभाग को आदेश देता है कि परिवादी द्वारा नाम परिवर्तन हेतु विभाग में आवेदन करने के उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। तदानुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अर्जुन सिंह बिष्ट	रघुवीर सिंह बिष्ट	रघुराज सिंह
(उपभोक्ता सदस्य)	(विधि सदस्य)	(तकनीकि सदस्य)
सदस्य–उपभोक्ता	सदस्य–विधि	सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच	उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

पत्रांकः– 146 /उ0शि0नि0मं0कर्ण0/2025–26, दिनांकः– 05/03/2026

वाद योजित तिथि –18.07.2025
अंतिम सुनवाई तिथि–19.02.2026
निर्णय उद्घघोषित तिथि–19.02.2026

शिकायत संख्याः– 22/2025–26

श्री जीतेन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री मंगल सिंह चौहान, घांघरिया ज्योर्तिमठ,..............................**परिवादी।**

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गोपेश्वर..**विपक्षी।**

कोरम–

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।
श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।
श्री रघुराज सिंह–तकनीकि सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थितिः–

परिवादी की ओर से... अनुपस्थित।

विपक्षी की ओर से... आशीष चौधरी उपखण्ड अधिकारी चमोली।

उद्घघोषित द्वारा :– श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।

श्री रघुराज सिंह–तकनीकि सदस्य।

निर्णय

1. परिवादी श्री जीतेन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री मंगल सिंह चौहान, घांघरिया ज्योर्तिमठ, वि0वि0खण्ड गोपेश्वर द्वारा दिनांक 18.07.2025 को विद्युत बिल के सन्दर्भ में परिवाद प्रस्तुत किया गया। परिवादी ने विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि विभाग द्वारा परिवादी का विद्युत बिल आपूर्ति से अधिक आ रहा है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 05.08.2025 के दौरान परिवादी उपस्थित हुए, विपक्षी की ओर से अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0खण्ड गोपेश्वर उपस्थित हुए, मंच द्वारा विपक्षी विभाग को आदेशित किया गया कि विभाग उपभोक्ता के वर्ष 2019 से दिये गये NR, IDF के बिल संशोधित कर अगली सुनवाई को प्रेषित करें।

सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

पत्रांक:– 146 /उ0शि0नि0मं0कर्ण0/2025–26, दिनांक:– 05 / 03 /2026

3. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 30.09.2025 के दौरान परिवादी अनुपस्थित, विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी चमोली उपस्थित हुए, मंच द्वारा विपक्षी विभाग को आदेशित किया गया कि विभाग परिवादी का विद्युत बिल संशोधित कर अगली सुनवाई को प्रेषित करें।
4. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 09.12.2025 के दौरान परिवादी अनुपस्थित, विपक्षी की ओर से श्री आशीष चौधरी उपखण्ड अधिकारी चमोली उपस्थित हुए, विपक्षी विभाग द्वारा मंच से जवाबदावा प्रस्तुत करने हेतु मौखिक रूप से अगली तिथि की मांग की गई।
5. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 15.01.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी चमोली उपस्थित हुए, मंच द्वारा पक्षकारों को अन्तिम सुनवाई हेतु दिनांक 19.02.2026 को स्वंय मंच के सम्मुख प्रस्तुत होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित किया गया।
6. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की अन्तिम सुनवाई दिनांक 19.02.2026 के दौरान परिवादी अनुपस्थित, विपक्षी की ओर से श्री आशीष चौधरी उपखण्ड अधिकारी चमोली उपस्थित हुए, मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा विभाग को आदेशित किया गया कि विभाग परिवादी के नये मीटर की रीडिंग के अनुसार पूर्व के बिलों को संशोधित करें।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार करते हुए मंच विभाग को आदेशित करता है कि, विभाग परिवादी के नये मीटर की रीडिंग के अनुसार पूर्व के बिलों को संशोधित करें। तदानुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अर्जुन सिंह बिष्ट (उपभोक्ता सदस्य) सदस्य–उपभोक्ता उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	रघुवीर सिंह बिष्ट (विधि सदस्य) **सदस्य–विधि** **उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच** कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	रघुराज सिंह (तकनीकि सदस्य) सदस्य–तकनीकि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,
Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:– 246429

पत्रांकः–147 /उ0शि0नि0मं0कर्ण0/2025–26, दिनांकः– 05/03 /2026

वाद योजित तिथि –04.11.2025
अंतिम सुनवाई तिथि–19.02.2026
निर्णय उद्घघोषित तिथि–19.02.2026

शिकायत संख्याः– 32/2025–26

श्री देवेन्द्र सिंह चौहान, होटल नन्दालोकपाल घांघरिया ग्राम–भ्युंडार पुलना जोशीमठ.....................**परिवादी**।

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गोपेश्वर...**विपक्षी**।

कोरम–

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।
श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।
श्री रघुराज सिंह–तकनीकि सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थितिः–

परिवादी की ओर से.. अनुपस्थित।

विपक्षी की ओर से.. आशीष चौधरी उपखण्ड अधिकारी चमोली।

उद्घघोषित द्वारा :– श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।

श्री रघुराज सिंह–तकनीकि सदस्य।

निर्णय

1. परिवादी श्री देवेन्द्र सिंह चौहान, होटल नन्दालोकपाल घांघरिया ग्राम–भ्युंडार पुलना जोशीमठ, वि0वि0खण्ड गोपेश्वर द्वारा दिनांक 04.11.2025 को विद्युत बिल के सन्दर्भ में परिवाद प्रस्तुत किया गया। परिवादी ने विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि विभाग द्वारा परिवादी का विद्युत बिल आपूर्ति से अधिक आ रहा है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।

सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

पत्रांकः–/147 /उ0शि0नि0मं0कर्ण0/2025–26, दिनांकः– 05/03 /2026

2. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 09.12.2025 के दौरान परिवादी अनुपस्थित, विपक्षी की ओर से श्री आशीष चौधरी उपखण्ड अधिकारी चमोली उपस्थित हुए, विपक्षी विभाग द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया, मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया गया कि नियत तिथि पर विभाग परिवादी के समस्त दस्तावेज, संशोधित बिल सहित दिनांक 15.01.2026 को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
3. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 15.01.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी की ओर से श्री आशीष चौधरी उपखण्ड अधिकारी चमोली उपस्थित हुए, मंच द्वारा पक्षकारों को सुनवाई हेतु अन्तिम अवरार दिया गया।
4. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 19.02.2026 के दौरान परिवादी अनुपस्थित, विपक्षी की ओर से श्री आशीष चौधरी उपखण्ड अधिकारी चमोली उपस्थित हुए, मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया । मंच द्वारा परिवादी की शिकायत पर पूर्व में IDF के बिलों का वर्तमान रीडिंग के आधार पर संशोधित करने का आदेश पारित किया गया था, परन्तु परिवादी द्वारा यात्रा सीजन के दौरान ही चार माह का बिल संशोधित करने का अनुरोध किया गया है। मंच द्वारा निर्णय लिया गया कि विपक्षी विभाग परिवादी को यात्रा सीजन के दौरान का ही विद्युत बिल प्रेषित करेगा।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार करते हुए मंच विभाग को आदेशित करता है कि, विभाग परिवादी को यात्रा सीजन के दौरान का ही विद्युत बिल प्रेषित करेगा। तद्‌नुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अर्जुन सिंह बिष्ट	रघुवीर सिंह बिष्ट	रघुराज सिंह
(उपभोक्ता सदस्य)	(विधि सदस्य)	(तकनीकि सदस्य)
सदस्य–उपभोक्ता	सदस्य–विधि	सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,
Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:– 246429

पत्रांकः– 148 /उ0शि0नि0मं0कर्ण0/2025–26, दिनांकः– 05/03/2026

वाद योजित तिथि –06.12.2025
अंतिम सुनवाई तिथि–19.02.2026
निर्णय उद्घघोषित तिथि–19.02.2026

शिकायत संख्याः– 37/2025–26

श्री गौरव बिष्ट, जिला न्यायालय चमोली, ...परिवादी।

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गोपेश्वर..........विपक्षी।

कोरम–

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।
श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।
श्री रघुराज सिंह–तकनीकि सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थितिः–

परिवादी की ओर से.......... अनुपस्थित।

विपक्षी की ओर से.......... श्री आशीष चौधरी उपखण्ड अधिकारी चमोली।

उद्घघोषित द्वारा :– श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।

श्री रघुराज सिंह–तकनीकि सदस्य।

निर्णय

1. परिवादी श्री गौरव बिष्ट, जिला न्यायालय चमोली, वि0वि0खण्ड गोपेश्वर द्वारा दिनांक 12.06.2025 को विद्युत लोड के सन्दर्भ में परिवाद प्रस्तुत किया गया। परिवादी ने विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि प्रार्थी का विद्युत भार 3 किलोवाट कर दिया गया है, जबकि उपभोक्ता की विद्युत खपत बहुत कम है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।

सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

पत्रांकः– 148 /उ0शि0नि0मं0कर्ण0/2025–26,	दिनांकः– 05/03 /2026

2. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 15.01.2026 के दौरान परिवादी अनुपस्थित, विपक्षी की ओर से श्री आशीष चौधरी, उपखण्ड अधिकारी चमोली एवं श्री योगेश्वर पुरोहित वि0वि0खण्ड गोपेश्वर उपस्थित हुए, मंच द्वारा निर्णय लिया गया है कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु अगली तिथि दिनांक 19.02.2026 को स्वंय मंच के सम्मुख प्रस्तुत होकर अपना पक्ष रखें।
3. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 19.02.2026 के दौरान परिवादी अनुपस्थित, विपक्षी की ओर से श्री आशीष चौधरी उपखण्ड अधिकारी वि0वि0उपखण्ड चमोली उपस्थित हुए, विपक्षी विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि परिवादी की शिकायत का समाधान कर भार 1 किलोवॉट कर दिया गया है, एवं परिवादी द्वारा नाम परिवर्तन करने के लिए विभाग में आवश्यक दस्तावेज जमा करने पर नियमानुसार कार्यवाही कर दी जाएगी।

आदेश

परिवादी के प्रस्तुत परिवाद में मंच द्वारा परिवादी को आदेशित किया जाता है कि नाम परिवर्तन करने के लिए परिवादी विभाग में आवश्यक दस्तावेज जमा करें, तथा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी द्वारा आवश्यक दस्तावेज जमा करने पर नियमानुसार कार्यवाही कर नाम परिवर्तन करें। तदानुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अर्जुन सिंह बिष्ट (उपभोक्ता सदस्य) सदस्य–उपभोक्ता उपभोक्ता शिकायत निवारण म कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	रघुवीर सिंह बिष्ट (विधि सदस्य) सदस्य–विधि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	रघुराज सिंह (तकनीकि सदस्य) सदस्य–तकनीकि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:– 246429

पत्रांकः– 149 /उ0शि0नि0मं0कर्ण0 / 2025–26, दिनांकः– 06/03/2026

वाद योजित तिथि –01.12.2025
अंतिम सुनवाई तिथि–19.02.2026
निर्णय उद्घघोषित तिथि– 19.02.2026

शिकायत संख्याः– 34 / 2025–26

श्री प्रदीप सिह चौहान ग्राम–झिरकोटी पो0–शान्तिसदन चटवापीपल..परिवादी।

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गैरसैंण..विपक्षी।

कोरम–

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।
श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।
श्री रघुराज सिंह–तकनीकि सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थितिः–

परिवादी की ओर से.. उपस्थित।

विपक्षी की ओर से.. अधिशासी अभियन्ता गैरसैंण।

उद्घघोषित द्वारा :– श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।

श्री रघुराज सिंह–तकनीकि सदस्य।

निर्णय

1. परिवादी श्री प्रदीप सिह चौहान ग्राम–झिरकोटी पो0–शान्तिसदन चटवापीपल, वि0वि0खण्ड गैरसैंण द्वारा दिनांक 01.12.2025 को विद्युत बिल के सन्दर्भ में परिवाद प्रस्तुत किया गया। परिवादी ने विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि परिवादी का विद्युत बिल आपूर्ति से अधिक आ रहा है, प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।

सदस्य–उपभोक्ता सदस्य–तकनीकि सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

पत्रांक:– 149 /उ0शि0नि0मं0कर्ण0/2025–26. दिनांक:– 06/03/2026

2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 15.01.2026 के दौरान परिवादी अनुपस्थित, विपक्षी विभाग की ओर से अवर अभियन्ता गौचर उपस्थित हुए, पक्षकारों को अगली सुनवाई हेतु पत्रावली प्रेषित किया जाए।
3. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 19.02.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित हुए, विपक्षी विभाग की ओर से अधिशासी अभियन्ता गैरसैंण, उपस्थित हुए, मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया, परिवादी द्वारा की गई शिकायत के आधार पर विपक्षी विभाग द्वारा बिल प्रेषित किया गया, परिवादी विद्युत बिल की अवशेष धनराशि रू0 8733.00 जमा करने करने को सहमत है। मंच द्वारा निर्णय लिया गया कि परिवादी दो किस्तों में अवशेष धनराशि जमा करें, तथा विपक्षी विभाग परिवादी को समय पर विद्युत बिल उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

आदेश

परिवादी का प्रस्तुत परिवाद स्वीकार करते हुए मंच द्वारा विभाग को आदेशित किया जाता है कि, विपक्षी विभाग परिवादी को समय पर विद्युत बिल उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें, एवं परिवादी विद्युत बिल की अवशेष धनराशि को दो समान किस्तों में जमा करें। तदानुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अर्जुन सिंह बिष्ट	रघुवीर सिंह बिष्ट	रघुराज सिंह
(उपभोक्ता सदस्य)	(विधि सदस्य)	(तकनीकि सदस्य)
सदस्य–उपभोक्ता	सदस्य–विधि	सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मं	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच	उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

पत्रांकः– 150 /उ0शि0नि0मं0कर्ण0/2025–26. दिनांकः– 06/03/2026

वाद योजित तिथि –10.12.2025
अंतिम सुनवाई तिथि–19.02.2026
निर्णय उद्धघोषित तिथि– 19.02.2026

शिकायत संख्याः– 39/2025–26

श्रीमती हेमलता देवी पत्नी स्व0 जयशंकर सिह कनवासी ग्राम–बन्दरखण्ड गौचर ....परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गैरसैंण..विपक्षी।

कोरम–

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।
श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।
श्री रघुराज सिंह–तकनीकि सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थितिः–

परिवादी की ओर से.. उपस्थित।

विपक्षी की ओर से.. अधिशासी अभियन्ता गैरसैंण।

उद्धघोषित द्वारा :– श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।

श्री रघुराज सिंह–तकनीकि सदस्य।

निर्णय

1. परिवादी श्रीमती हेमलता देवी पत्नी स्व0 जयशंकर सिह कनवासी ग्राम–बन्दरखण्ड गौचर, वि0वि0खण्ड गैरसैंण द्वारा दिनांक 10.12.2025 को कैम्प के दौरान विद्युत लोड के सन्दर्भ में परिवाद प्रस्तुत किया गया। परिवादी ने विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि विभाग द्वारा प्रार्थी का विद्युत भार 3 किलोवाट कर दिया गया है, जबकि उपभोक्ता की विद्युत खपत बहुत कम है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।

सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

पत्रांक:– 150 /उ0शि0नि0मं0कर्ण0/2025–26, दिनांक:– 06/03/2026

2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 15.01.2026 के दौरान परिवादी अनुपस्थित, विपक्षी विभाग की ओर से अवर अभियन्ता गौचर उपस्थित हुए, मंच द्वारा पक्षकारों को अगली सुनवाई हेतु पत्रावली प्रेषित करना आदेशित किया गया।
3. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 19.02.2026 के दौरान परिवादी अनुपस्थित, विपक्षी विभाग की ओर से अधिशासी अभियन्ता गैरसैंण, उपस्थित हुए, मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया, मंच द्वारा विपक्षी विभाग को आदेशित किया गया कि परिवादी के नाम परिवर्तन एवं विद्युत भार को कम करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही करें।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार करते हुए मंच परिवादी को आदेशित करता है कि, परिवादी अपने संयोजन में नाम परिवर्तन एवं विद्युत भार कम करने हेतु विभाग में आवेदन करें, तथा मंच विपक्षी विभाग को आदेश देता है कि परिवादी द्वारा आवेदन करने के उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। तदानुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अर्जुन सिंह बिष्ट (उपभोक्ता सदस्य) सदस्य–उपभोक्ता उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	रघुवीर सिंह बिष्ट (विधि सदस्य) सदस्य–विधि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	रघुराज सिंह (तकनीकि सदस्य) सदस्य–तकनीकि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग.

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

पत्रांकः– 151 /उ0शि0नि0मं0कर्ण0/2025–26, दिनांकः– 06/03/2026

वाद योजित तिथि –10.12.2025
अंतिम सुनवाई तिथि–19.02.2026
निर्णय उद्घघोषित तिथि– 19.02.2026

शिकायत संख्याः– 40/2025–26

श्री गोविन्द सिंह वार्ड न0–06 गौचर .... परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गैरसैंण.. विपक्षी।

कोरम–

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।
श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।
श्री रघुराज सिंह–तकनीकि सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थितिः–

परिवादी की ओर से.. उपस्थित।

विपक्षी की ओर से.. अधिशासी अभियन्ता गैरसैंण।

उद्घघोषित द्वारा :– श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोवता सदस्य।

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।

श्री रघुराज सिंह–तकनीकि सदस्य।

निर्णय

1. परिवादी श्री गोविन्द सिंह वार्ड न0–06 गौचर, वि0वि0खण्ड गैरसैंण द्वारा दिनांक 10.12.2025 को कैम्प के दौरान विद्युत बिल की अन्य चार्ज की अनियमितता एवं कम बोल्टेज के सन्दर्भ में परिवाद प्रस्तुत किया गया। परिवादी ने विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि विभाग द्वारा प्रार्थी के विद्युत बिलों के अन्य शुल्को में बहुत अनियमितताऐं हैं, एवं सुबह के समय बोल्टेज भी कम रहता है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।

सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 15.01.2026 के दौरान परिवादी अनुपस्थित, विभाग की ओर से अवर अभियन्ता गौचर उपस्थित हुए, मंच द्वारा पक्षकारों को अगली सुनवाई हेतु पत्रावली प्रेषित करना आदेशित किया गया।
3. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 19.02.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से अधिशासी अभियन्ता गैरसैंण उपस्थित हुए, विभाग द्वारा मंच को अवगत किया गया कि परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी के प्रस्तुत परिवाद का समाधान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कर दिया गया है। तद्‌नुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अर्जुन सिंह बिष्ट (उपभोक्ता सदस्य) सदस्य–उपभोक्ता उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	रघुवीर सिंह बिष्ट (विधि सदस्य) सदस्य–विधि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	रघुराज सिंह (तकनीकि सदस्य) सदस्य–तकनीकि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:– 246429

पत्रांक:– 152 /उ0शि0नि0मं0कर्ण0 / 2025–26, दिनांक:– 06/03/2026

वाद योजित तिथि –10.12.2025
अंतिम सुनवाई तिथि–19.02.2026
निर्णय उद्घघोषित तिथि– 19.02.2026

शिकायत संख्या:– 41 / 2025–26

श्री मोहन सिंह राणा ग्राम–रावलनगर गौचर, ...परिवादी।

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गैरसैंण..विपक्षी।

कोरम–

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।
श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।
श्री रघुराज सिंह–तकनीकि सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थिति:–

परिवादी की ओर से.. उपस्थित।

विपक्षी की ओर से.. अधिशासी अभियन्ता गैरसैंण।

उद्घघोषित द्वारा :– श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।

श्री रघुराज सिंह–तकनीकि सदस्य।

निर्णय

1. परिवादी श्री मोहन सिंह राणा ग्राम–रावलनगर गौचर, वि0वि0खण्ड गैरसैंण द्वारा दिनांक 10.12.2025 को कैम्प के दौरान विद्युत बिल के सन्दर्भ में परिवाद प्रस्तुत किया गया। परिवादी ने विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि परिवादी का विद्युत बिल आपूर्ति से अधिक आ रहा है, प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।

सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,
Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:– 246429

पत्रांक:– 152 / उ0शि0नि0मं0कर्ण0 / 2025–26, दिनांक:– 06 / 03 / 2026

2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 15.01.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित हुए, विपक्षी विभाग की ओर से अवर अभियन्ता गौचर उपस्थित हुए, मंच द्वारा पक्षकारों को अगली सुनवाई हेतु पत्रावली प्रेषित करना आदेशित किया गया।
3. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 19.02.2026 के दौरान परिवादी अनुपस्थित, विपक्षी विभाग की ओर से अधिशासी अभियन्ता गैरसैंण, उपस्थित हुए, मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा परिवादी का विद्युत बिल मीटर रीडिंग के अनुसार दिया जा रहा है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद बलहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। तद्नुसार परिवाद खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अर्जुन सिंह बिष्ट	रघुवीर सिंह बिष्ट	रघुराज सिंह
(उपभोक्ता सदस्य)	(विधि सदस्य)	(तकनीकि सदस्य)
सदस्य–उपभोक्ता	सदस्य–विधि	सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:– 246429

पत्रांक:–153 / उ0शि0नि0मं0कर्ण0 / 2025–26, दिनांक:–06 /03 / 2026

वाद योजित तिथि –10.12.2025
अंतिम सुनवाई तिथि–19.02.2026
निर्णय उद्घोषित तिथि– 19.02.2026

शिकायत संख्या:– 42 / 2025–26

श्रीमती सुमन देवी ग्राम–पनाई गौचर, ...परिवादी।

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गैरसैंण....................विपक्षी।

कोरम–

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।
श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।
श्री रघुराज सिंह–तकनीकि सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थिति:–

परिवादी की ओर से.................... उपस्थित।

विपक्षी की ओर से.................... अधिशासी अभियन्ता गैरसैंण।

उद्घोषित द्वारा :– श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।

श्री रघुराज सिंह–तकनीकि सदस्य।

निर्णय

1. परिवादी श्रीमती सुमन देवी ग्राम–पनाई गौचर, वि0वि0खण्ड गैरसैंण द्वारा दिनांक 10.12.2025 को कैम्प के दौरान विद्युत बिल के सन्दर्भ में परिवाद प्रस्तुत किया गया। परिवादी ने विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि परिवादी का विद्युत बिल आपूर्ति से अधिक आ रहा है, प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।

सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 15.01.2026 के दौरान परिवादी अनुपस्थित, विपक्षी विभाग की ओर से अवर अभियन्ता गौचर उपस्थित हुए, मंच द्वारा पक्षकारों को अगली सुनवाई हेतु पत्रावली प्रेषित करना आदेशित किया गया।
3. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 19.02.2026 के दौरान परिवादी अनुपस्थित, विपक्षी विभाग की ओर से अधिशासी अभियन्ता गैरसैंण, उपस्थित हुए, मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा परिवादी का विद्युत बिल चेक मीटर की रीडिंग के अनुसार सही पाया गया ।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद बलहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। तदानुसार परिवाद खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

रघुवीर सिंह बिष्ट
(विधि सदस्य)
सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

रघुराज सिंह
(तकनीकि सदस्य)
सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:– 246429

पत्रांक:– 154 /उ0शि0नि0मं0कर्ण0/2025–26, दिनांक:– 07/03/2026

वाद योजित तिथि –10.12.2025
अंतिम सुनवाई तिथि–19.02.2026
निर्णय उद्घोषित तिथि– 19.02.2026

शिकायत संख्या:– 43/2025–26

श्री विनोद लाल ग्राम–बसन्तपुर गौचर, ...परिवादी।

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गैरसैंण..विपक्षी।

कोरम–

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।
श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।
श्री रघुराज सिंह–तकनीकि सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थिति:–

परिवादी की ओर से.. उपस्थित।

विपक्षी की ओर से.. अधिशासी अभियन्ता गैरसैंण।

उद्घोषित द्वारा :– श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोवता सदस्य।

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।

श्री रघुराज सिंह–तकनीकि सदस्य।

निर्णय

1. परिवादी श्री विनोद लाल ग्राम–बसन्तपुर गौचर, वि0वि0खण्ड गैरसैंण द्वारा दिनांक 10.12.2025 को कैम्प के दौरान विद्युत बिल के सन्दर्भ में परिवाद प्रस्तुत किया गया। परिवादी ने विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि परिवादी का विद्युत बिल आपूर्ति से अधिक आ रहा है, प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।

सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

पत्रांकः– 154 /उ0शि0नि0मं0कर्ण0 / 2025–26, दिनांकः– 07/03 / 2026

2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 15.01.2026 के दौरान परिवादी अनुपस्थित, विपक्षी विभाग की ओर से अवर अभियन्ता गौचर उपस्थित हुए, मंच द्वारा पक्षकारों को अगली सुनवाई हेतु पत्रावली प्रेषित करना आदेशित किया गया।
3. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 19.02.2026 के दौरान परिवादी अनुपस्थित, विपक्षी विभाग की ओर से अधिशासी अभियन्ता गैरसैंण, उपस्थित हुए, मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा परिवादी का विद्युत बिल मीटर रीडिंग के अनुसार ही दिया जा रहा है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद बलहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। तदानुसार परिवाद खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

रघुवीर सिंह बिष्ट
(विधि सदस्य)
सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

रघुराज सिंह
(तकनीकि सदस्य)
सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,
Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:– 246429

पत्रांक:– 155 /उ0शि0नि0मं0कर्ण0/2025–26, दिनांक:– 07/03/2026

वाद योजित तिथि –10.12.2025
अंतिम सुनवाई तिथि–19.02.2026
निर्णय उद्घघोषित तिथि– 19.02.2026

शिकायत संख्या:– 45/2025–26

श्री प्रकाश चन्द्र ग्राम–बौला पो0–शान्तिसदन गौचर, ...परिवादी।

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गैरसैंण..विपक्षी।

कोरम–

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।
श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।
श्री रघुराज सिंह–तकनीकि सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थिति:–

परिवादी की ओर से.. उपस्थित।

विपक्षी की ओर से... अधिशासी अभियन्ता गैरसैंण।

उद्घघोषित द्वारा :– श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।

श्री रघुराज सिंह–तकनीकि सदस्य।

निर्णय

1. परिवादी श्री प्रकाश चन्द्र ग्राम–बौला पो0–शान्तिसदन गौचर, वि0वि0खण्ड गैरसैंण द्वारा दिनांक 10.12.2025 को कैम्प के दौरान विद्युत बिल के सन्दर्भ में परिवाद प्रस्तुत किया गया। परिवादी ने विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि परिवादी का विद्युत बिल आपूर्ति से अधिक आ रहा है, प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।

सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

पत्रांकः– 155 / उ0शि0नि0मं0कर्ण0 / 2025–26. दिनांकः– 07/03 / 2026

2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 15.01.2026 के दौरान परिवादी अनुपस्थित, विपक्षी विभाग की ओर से अवर अभियन्ता गौचर उपस्थित हुए, पक्षकारों को अगली सुनवाई हेतु पत्रावली प्रेषित किया जाए।
3. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 19.02.2026 के दौरान परिवादी अनुपस्थित, विपक्षी विभाग की ओर से अधिशासी अभियन्ता गैरसैंण उपस्थित हुए, मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया, विपक्षी द्वारा परिवादी का विद्युत बिल मीटर रीडिंग के अनुसार ही दिया जा रहा है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद बलहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। तदानुसार परिवाद खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अर्जुन सिंह बिष्ट (उपभोक्ता सदस्य) सदस्य–उपभोक्ता उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	रघुवीर सिंह बिष्ट (विधि सदस्य) सदस्य–विधि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	रघुराज सिंह (तकनीकि सदस्य) सदस्य–तकनीकि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:– 246429

पत्रांकः–/56 /उ0शि0नि0मं0कर्ण0/2025–26. दिनांकः– 07/03/2026

वाद योजित तिथि –10.12.2025
अंतिम सुनवाई तिथि–19.02.2026
निर्णय उद्घोषित तिथि– 19.02.2026

शिकायत संख्याः– 46/2025–26

श्री राजकिशोर भण्डारी निकट ऑफिसर मैस गौचर, ...परिवादी।

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गैरसैंण..विपक्षी।

कोरम–

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।
श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।
श्री रघुराज सिंह–तकनीकि सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थितिः–

परिवादी की ओर से.. उपस्थित।

विपक्षी की ओर से.. अधिशासी अभियन्ता गैरसैंण।

उद्घोषित द्वारा :– श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।

श्री रघुराज सिंह–तकनीकि सदस्य।

निर्णय

1. परिवादी श्री राजकिशोर भण्डारी निकट ऑफिसर मैस गौचर, वि0वि0खण्ड गैरसैंण द्वारा दिनांक 10.12.2025 को कैम्प के दौरान विद्युत बिल के सन्दर्भ में परिवाद प्रस्तुत किया गया। परिवादी ने विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि परिवादी का विद्युत बिल आपूर्ति से अधिक आ रहा है, प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।

सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

पत्रांकः– 156 /उ0शि0नि0मं0कर्ण0/2025–26, दिनांकः– 07/03/2026

2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 15.01.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित, विपक्षी विभाग की ओर से अवर अभियन्ता गौचर उपस्थित हुए, परिवादी द्वारा मंच को अवगत किया गया कि परिवादी का वर्तमान बिल 604 एवं पिछला अवशेष बिल संशोधित करने के उपरान्त 16972 बनाया गया है। परिवादी वर्तमान बिल जमा करने एवं अवशेष बिल का 25% जमा करने को तैयार है।
3. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 19.02.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित हुए, विपक्षी विभाग की ओर से अधिशासी अभियन्ता गैरसैंण उपस्थित हुए, मंच द्वारा परिवादी की सहमति पर विपक्षी को चेक मीटर स्थापित करने के पश्चात् वर्तमान के तीन बिलिंग चक्रों की मीटर रीडिंग के अनुसार बिल संशोधित कर उपभोक्ता को बिल प्रेषित करना सुनिश्चित किया गया।

आदेश

मंच द्वारा परिवादी का प्रस्तुत परिवाद स्वीकार करते हुए, विभाग को आदेशित किया जाता है कि परिवादी के वर्तमान तीन बिलिंग चक्रों की मीटर रीड़िंग के अनुसार पूर्व के विवादित बिल को संशोधित कर उपभोक्ता को प्रेषित करें। तदानुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अर्जुन सिंह बिष्ट (उपभोक्ता सदस्य) सदस्य–उपभोक्ता उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	रघुवीर सिंह बिष्ट (विधि सदस्य) सदस्य–विधि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	रघुराज सिंह (तकनीकि सदस्य) सदस्य–तकनीकि उपभोक्ता शिकायत निवारण मं कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

पत्रांकः–157 /उ0शि0नि0मं0कर्ण0 / 2025–26, दिनांकः– 07/03/2026

वाद योजित तिथि –10.12.2025
अंतिम सुनवाई तिथि–19.02.2026
निर्णय उद्घोषित तिथि– 19.02.2026

शिकायत संख्याः– 48 / 2025–26

श्री ताजबर सिंह ग्राम –बन्दरखण्ड वार्ड न0–07 गौचर, ...परिवादी।

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गैरसैंण..विपक्षी।

कोरम–

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।
श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।
श्री रघुराज सिंह–तकनीकि सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थितिः–

परिवादी की ओर से.. उपस्थित।

विपक्षी की ओर से.. अधिशासी अभियन्ता गैरसैंण।

उद्घोषित द्वारा :– श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।

श्री रघुराज सिंह–तकनीकि सदस्य।

निर्णय

1. परिवादी श्री ताजबर सिंह ग्राम –बन्दरखण्ड वार्ड न0–07 गौचर, वि0वि0खण्ड गैरसैंण द्वारा दिनांक 10.12.2025 को कैम्प के दौरान विद्युत बिल के सन्दर्भ में परिवाद प्रस्तुत किया गया। परिवादी ने विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि परिवादी का विद्युत बिल आपूर्ति से अधिक आ रहा है, प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।

सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,
Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:– 246429

दिनांक:– 07/03/2026

पत्रांक:– 157 /उ0शि0नि0मं0कर्ण0/2025–26,

2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 15.01.2026 के दौरान परिवादी अनुपस्थित, विपक्षी विभाग की ओर से अवर अभियन्ता गौचर उपस्थित हुए, मंच द्वारा पक्षकारों को अगली सुनवाई हेतु पत्रावली प्रेषित करना आदेशित किया गया।
3. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 19.02.2026 के दौरान परिवादी अनुपस्थित, विपक्षी विभाग की ओर से अधिशासी अभियन्ता गैरसैंण, उपस्थित हुए, मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा परिवादी का विद्युत बिल मीटर रीडिंग के अनुसार ही दिया जा रहा है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद बलहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। तदानुसार परिवाद खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

रघुवीर सिंह बिष्ट
(विधि सदस्य)
सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

रघुराज सिंह
(तकनीकि सदस्य)
सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:– 246429

पत्रांक:– 158 /उ0शि0नि0मं0कर्ण0/2025–26, दिनांक:–07/03/2026

वाद योजित तिथि –06.01.2026
अंतिम सुनवाई तिथि–19.02.2026
निर्णय उद्घघोषित तिथि– 19.02.2026

शिकायत संख्या:– 62/2025–26

श्री कमल सिंह ग्राम–श्रीकोट गौचर ....परिवादी।

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गैरसैंण..विपक्षी।

कोरम–

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।
श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।
श्री रघुराज सिंह–तकनीकि सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थिति:–

परिवादी की ओर से.. उपस्थित।

विपक्षी की ओर से.. अधिशासी अभियन्ता गैरसैंण।

उद्घघोषित द्वारा :– श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।

श्री रघुराज सिंह–तकनीकि सदस्य।

निर्णय

1. परिवादी श्री कमल सिंह ग्राम–श्रीकोट गौचर, वि0वि0खण्ड गैंरसैंण द्वारा दिनांक 06.01.2026 को विद्युत बिल के सन्दर्भ में परिवाद प्रस्तुत किया गया। परिवादी ने विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि परिवादी का विद्युत मीटर खराब है, एवं नया मीटर लगाना है, प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।

सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

पत्रांकः– 158 / उ0शि0नि0मं0कर्ण0 / 2025–26, दिनांकः– 07/03/2026

2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 19.02.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित हुए, विपक्षी विभाग की ओर से अधिशासी अभियन्ता वि0वि0खण्ड गैरसैंण उपस्थित हुए, मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया, विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दूसरा मीटर लगा दिया गया है।

आदेश

परिवादी के प्रस्तुत परिवाद का समाधान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कर दिया गया है। तद्नुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अर्जुन सिंह बिष्ट	रघुवीर सिंह बिष्ट	रघुराज सिंह
(उपभोक्ता सदस्य)	(विधि सदस्य)	(तकनीकि सदस्य)
सदस्य–उपभोक्ता	सदस्य–विधि	सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मच	उपभोक्ता शिकायत निवारण मच	उपभोक्ता शिकायत निवारण मच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:– 246429

पत्रांक:– 159 /उ0शि0नि0मं0कर्ण0/2025–26, दिनांक:– 07/03/2026

वाद योजित तिथि –19.01.2026
अंतिम सुनवाई तिथि–19.02.2026
निर्णय उद्घघोषित तिथि–19.02.2026

शिकायत संख्या:– 65/2025–26

श्री पुष्कर सिंह नेगी व समस्त ग्रामवासी ग्राम–मदोला पो0– घोलतीर रूद्रप्रयाग.................................परिवादी।

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गोपेश्वर...विपक्षी।

कोरम–

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।
श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।
श्री रघुराज सिंह–तकनीकि सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थितिः–

परिवादी की ओर से.. अनुपस्थित।

विपक्षी की ओर से.. अधिशासी अभियन्ता रूद्रप्रयाग।

उद्घघोषित द्वारा :– श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।

श्री रघुराज सिंह–तकनीकि सदस्य।

निर्णय

1. परिवादी श्री पुष्कर सिंह नेगी व समस्त ग्रामवासी ग्राम–मदोला पो0– घोलतीर रूद्रप्रयाग, वि0वि0खण्ड रूद्रप्रयाग द्वारा दिनांक 19.01.2026 को विद्युत पोल के सन्दर्भ में परिवाद प्रस्तुत किया गया। परिवादी ने विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि परिवादी अपने परिसर पर विद्युत पोल स्थापित करना चाहता है प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।

सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

पत्रांक:– 159 /उ0शि0नि0मं0कर्ण0/2025–26, दिनांक:–07/03/2026

2. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 19.02.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी ऊखीमठ उपस्थित हुए, विपक्षी द्वारा अपने कार्यलय पत्रांक 15/वि0वि0उ0ख0सु0 दिनांक 03.02.2026 द्वारा मंच को अवगत किया गया कि उपभोक्ता द्वारा विद्युत संयोजन के आवेदन करने के पश्चात ही उपखण्ड द्वारा अग्रिम कार्यवाही किया जान सम्भव है। मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया, परिवादी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर मंच द्वारा परिवादी को आदेशित किया गया कि परिवादी उक्त तोक में विद्युत संयोजन हेतु विभाग में आवेदन करें।

आदेश

मंच द्वारा परिवादी का प्रस्तुत परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार कर परिवादी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी उक्त तोक में विद्युत संयोजन हेतु विभाग में आवेदन करें, तथा मंच विपक्षी विभाग को आदेश देता है कि परिवादी द्वारा विद्युत संयोजन हेतु आवेदन करने के उपरान्त परिवादी के तोक में नियमानुसार विद्युत पोल लगाना सुनिश्चित करें। तदानुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

रघुवीर सिंह बिष्ट
(विधि सदस्य)
सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

रघुराज सिंह
(तकनीकि सदस्य)
सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL